न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर०ए०एस०)

जीसीएमएस नं. 2024 / 395
मुकदमा नम्बर 147 / 2024 दर्ज दिनांक– 03.09.2024

1. मनफुली पत्नी गणपतराम
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गणपतराम
3. रामकुमार पुत्र गणपतराम, समस्त जाति अहीर निवासीगण गोठडा, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री संदीप कुमार सैनी, श्री आशीष बुगालिया
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 02.06.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम गोठडा पटवार हल्का गोठडा की सरहद में भूमि खाता सं. नया 147 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 275 रकबा 0.36 है0, खसरा नं. 276 रकबा 0.29 है0, खसरा नं. 282 रकबा 0.14 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.79है0 के राजस्व रिकार्ड में जाति राजपूत के स्थान पर अहीर दुरूस्त किया जावें तथा राजस्व ग्राम गोठडा पटवार हल्का गोठडा की सरहद में भूमि खाता सं. नया 434 के अन्तर्गत खसरा नं. 285 रकबा 0.82 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.82 के राजस्व रिकार्ड में जाति जाट के स्थान पर अहीर दुरूस्त कर दर्ज करने की कृपा करे।

प्रा. पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक की और से पैरो. राज. उपस्थित हो तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट कमांक 7827 दिनांक 16.05.2025 पेश की गई। तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाही गई दुरूस्ती की जाना उचित है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गोठडा पटवार हल्का गोठडा की सरहद में भूमि खाता सं. नया 147 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 275 रकबा 0.36 है0, खसरा नं. 276 रकबा 0.29 है0, खसरा नं. 282 रकबा 0.14 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.79है0 के राजस्व रिकार्ड में जाति राजपूत के स्थान पर अहीर दुरूस्त किया जावें तथा राजस्व ग्राम गोठडा पटवार हल्का गोठडा की सरहद में भूमि खाता सं. नया 434 के अन्तर्गत खसरा नं. 285 रकबा 0.82 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.82 के राजस्व रिकार्ड में जाति जाट के स्थान पर अहीर दुरूस्त कर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय / आदेश आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू